म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान

(भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, मानव विकास संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त शोध संस्थान)

6, प्रोफेसर रामसखा गौतम मार्ग, भरतपुरी प्रशासनिक प्रक्षेत्र, उज्जैन – 456010 (म.प्र.)

फोनः 0734–2510978, ईमेलः mpissr@yahoo.co.in http://www.mpissr.org

राष्ट्रीय सेमिनार

ग्रामीण अधोसंरचनात्मक विकास का परिदृश्य एवं जीवन की गुणवत्ता की स्थितिः उपलब्धियाँ, चुनौतियाँ एवं सम्भावनाएँ

(The Scenario of Rural Infrastructural Development and Status of Quality of Life: Achievement, Challenges and Possibilities)

(फरवरी 19–20, 2019)

प्रायोजक – उत्तर क्षेत्रीय केन्द्र, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली

ग्रामीण अधोसंरचनात्मक विकास ग्रामीणों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के साथ ग्रामीण क्षेत्र के समग्र विकास को प्रदर्शित करता है। इसमें सामाजिक–आर्थिक अधोसंरचना, सामुदायिक सेवाएँ एवं सुविधाएँ महत्वपूर्ण है। अधोसंरचनात्मक विकास से हमारा तात्पर्य मानवीय विकास के लिए उन सभी मूलभूत आवश्यकताओं से है जिनके द्वारा संसाधनों तक पहुंच एवं जीवन की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित होती है। अधोसंरचनात्मक तंत्र निजी और सार्वजनिक, भौतिक और सेवाओं संबंधी और सामाजिक एवं आर्थिक किसी भी तरह का हो सकता है। आर्थिक अधोसंरचनात्मक तंत्र के अंतर्गत परिवहन के साधन एवं सड़क, संचार, अबाध विद्युत आपूर्ति, विपणन की सुविधाएँ, दैनन्दिनी आवश्यकताओं की आपूर्ति, सिंचाई और इसी तरह की सुविधाएँ शामिल है जबकि सामाजिक अवसंरचना के अंतर्गत शिक्षा तक पहुँच, स्वास्थ्य की सुविधाएँ, स्वच्छ पेयजल की उपलबधता, स्वच्छता, पक्का आवास आदि आते हैं।

जहाँ तक आधारभूत अधोसंरचना की स्थिति जैसे सड़क, पेयजल, विद्युत, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, सुरक्षा एवं आवागमन तथा संचार का प्रश्न है। ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा अभाव की स्थिति में रहते आये हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में न केवल ये लोक सुविधाएँ एवं आपूर्ति व्यवस्थाएँ अपर्याप्त हैं अपितु वे कई सन्दर्भों में अव्यवस्थित एवं निर्भर करने योग्य भी नहीं है। परिणामतः ग्रामीण गरीब पीढ़ी–दर–पीढ़ी कमजोर शिक्षा, कमजोर स्वास्थ्य, बेरोजगारी और क्रमिक गरीबी की समस्याओं से जूझते आए हैं।

ग्रामीण विकास के लिए भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त, विश्वसनीय और अच्छे स्तर की अधोसंरचना को लक्ष्य निर्धारित करते हुए समय सीमा में प्राप्त करना ग्रामीण विकास की पूर्वापेक्षा है। इसी के दृष्टिगत सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत अधोसंरचना की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए समय–समय पर इस हेतु अनेक कार्यक्रम प्रारम्भ किए हैं।

नब्बे का दशक आर्थिक सुधार एवं विकेन्द्रीकृत अभिशासन के कारण ग्रामीण विकास के क्षेत्र में परिवर्तन की दृष्टि से विशेष महत्व रखता हैं। वैश्विक एवं स्थानीय स्तर के इन सुधारों ने ग्रामीण विकास की नीतियों, कार्यक्रमों एवं रणनीतियों में बहुत परिवर्तन किए जिसके प्रत्यक्ष परिणाम ग्रामीण क्षेत्रों में देखें जा सकते हैं। सतत् आजीविका से जुड़े मुद्दे कुपोषण, बीमारी, अभाव, निरक्षरता, मूलभूत सुविधाओं एवं सेवाओं की कमी इत्यादि को इन नीतियों में सम्बोधित करने का प्रयास किया गया है। इस नीति में द्विआयामी रणनीति पर अमल किया गया जिसमें निर्धनता के विरूद्ध सीधी कार्यवाही एवं सामाजिक क्षेत्रों में प्रभावी निवेश सम्मिलित है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचनात्मक विकास जैसे सड़क, साफ–सफाई, पेयजल, आवश्यक भवनों, विद्युत आदि उपलब्ध कराने के प्रयास भी अग्रणी रहे हैं।

आवास के क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना जिसे पूर्व में इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था देश के ग्रामीण गरीबों को आवास मुहैया कराने का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। सड़क एवं परिवहन के क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों के विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से अवसंरचना को विकसित किया जा रहा है। हर गांव में बिजली पहुँचाने हेतु सौभाग्य योजना का क्रियान्वयन किया गया है। पेयजल के क्षेत्र में "राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम" के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त स्वच्छ पेयजल प्रदान करने की आवश्यक बुनियादी जरूरत को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया।

स्वच्छता के क्षेत्र में 2014 में प्रारम्भ किये गये "स्वच्छ भारत अभियान" लोगों में स्वच्छता, आरोग्य एवं स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता के साथ–साथ स्वच्छता हेतु आवश्यक अवसंरचना के विकास हेतु प्रतिबद्ध है। ग्रामीण अधोसंरचना को मजबूत बनाने एवं सभी की पहुँच को सुनिश्चित करने के लिए विगत वर्षों में बैंकिंग सेवाओं का प्रसार ग्रामीण इलाकों में तेजी से किया गया। जहाँ बैंक की शाखा नहीं है वहाँ सीएसपी एवं मिनी बैंक आरम्भ किये गये। संचार अवसंरचना के क्षेत्र में दूरसंचार के क्षेत्र में असाधारण वृद्धि से ई–गवर्नेंस, ई–पंचायत, वित्तीय सेवाओं, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, परिवहन एवं नागरिक सेवाओं के क्षेत्र में विस्तार का प्रयास हुआ है। किसानों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कृषि

को लाभ का क्षेत्र बनाने की दिशा में भी कई प्रयास किये गये। कृषि से जुड़ी सरकारी नीतियों में भी कई परिवर्तन किए गए। कृषि लागत घटाने की दिशा में भी सरकार ने कई प्रयास किये हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से लाभप्रद खेती को बढ़ावा देने के प्रयास किये जा रहे हैं। इसके तहत सिंचाई अवसंरचनाओं के विकास को प्राथमिकता दी गई है।

ग्रामीण अधोसंरचना के विकास में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का महत्वपूर्ण योगदान है। इस योजना के अन्तर्गत किये गये कार्य बुनियादी तौर पर ग्रामीण अधोसंरचना तंत्र के विकास के कार्य है जिसमें तालाब, सम्पर्क सड़क, जलग्रहण, नाली निर्माण सहित अनेक कार्य किये गये हैं। कुल मिलाकर ग्रामीण अधोसंरचनात्मक तंत्र के विकास की दिशा में ये कदम ग्रामीणों के भोजन, आवास, रोजगार सहित सामाजिक एवं स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी सभी पहलुओं को सम्बोधित करते हैं।

इस पृष्ठभूमि में ग्रामीण अधोसंरचनात्मक विकास के परिदृश्य का मूल्यांकन एवं समीक्षा नितांत प्रासंगिक एवं अनिवार्य है, जो यह स्पष्ट कर सके कि इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों का प्रभाव किस रूप में जमीनी स्तर पर दृष्टिगोचर हो रहा है। अतः विषय की महत्ता एवं प्रासंगिकता को दृष्टिगत रखते हुए म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान, उज्जैन द्वारा **ग्रामीण अधोसंरचनात्मक विकास का परिदृश्य एवं जीवन की गुणवत्ता की स्थिति : उपलब्धियाँ, चुनौतियाँ एवं सम्भावनाएँ** विषय पर दो दिवसीय सेमिनार का आयोजन दिनांक **19 एवं 20 फरवरी, 2019** को किया जा रहा है।

सेमिनार के प्रस्तावित उपशीर्षक इस प्रकार हैं –

- **ग्रामीण अधोसंरचनात्मक विकास एवं जीवन की गुणवत्ता : सैद्धांतिक विवेचन**
  (Rural Infrastructural Development and Quality of Life: Conceptual Analysis)
- **भारत में ग्रामीण अधोसंरचनात्मक विकास का बदलता परिदृश्य, दृष्टिकोण एवं प्रतिमान**
  (Changing Patterns, Perspectives and Paradigms of Rural Infrastructural Development)
- **ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन एवं सड़को की स्थिति एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना**
  (Status of Transport and Roads in Rural Area and Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna)
- **ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता एवं पेजल; राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एवं स्वच्छ भारत अभियान**
  (Drinking Water and Sanitation in Rural Areas, National Rural Drinking Water Mission and Swachh Bharat Abhiyan)
- **ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की स्थिति एवं समस्याएँ, इंदिरा आवास योजना एवं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना**
  (Status of Housing and Problems in Rural Areas, Indira Awas Yojna and Pradhan Mantri Grameen Awas Yojna)
- **ग्रामीण अधोसंरचनात्मक विकास एवं शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच**
  (Rural Infrastructural Development and Access toHealth and Education Facilities)
- **ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं का विस्तार, ई–पंचायत, ई–गवर्नेंस एवं नागरिक सुविधाओं तक पहुँच**
  (Extension of Communication Services in Rural Areas, E-panchayat, E-governance and Access to Civil Amenities)
- **मनरेगा एवं ग्रामीण क्षेत्रों अधोसंरचनात्मक विकास हेतु सार्वजनिक ग्रामीण परिसम्पत्तियों का निर्माण**
  (MGNREGA and Construction of Rural Public Assets for Rural Infrastructural Development)
- **न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताओं के लिए कल्याणकारी एवं विकासात्मक कार्यक्रम**
  (Welfare and Development Programmes for Minimum Basic Needs)

इस सेमिनार हेतु उक्तांकित विषयवस्तु एवं मुद्दों पर हिन्दी अथवा अँग्रेजी में शोध पत्र आमंत्रित हैं। चयनित शोध पत्रों के लेखकों को सेमिनार भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाएगा। सेमिनार में भाग लेने हेतु यात्रा व्यय संस्थान द्वारा वहन किया जायेगा तथा आवास एवं अन्य व्यवस्थाएँ भी संस्थान द्वारा की जायेगी।

सम्पूर्ण शोध पत्र (3000–5000 शब्दों में) संक्षेपिका सहित भेजने की अंतिम तिथि : 05 फरवरी, 2019

(शोधपत्र एवं संक्षेपिका निर्धारित तिथि के पूर्व ई–मेल mailboxmpissr@gmail.com पर प्रेषित करे)

डॉ. आशीष भट्ट
सेमिनार समन्वयक
09424511516
(drabhatt@yahoo.com)

प्रोफेसर यतीन्द्रसिंह सिसोदिया
निदेशक